भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 355

02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: एम.एस. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी

355. श्री सु. वेंकटेशनः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एम.एस. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार, सी2+50 पर एमएसपी लागू करने के लिए किसानों के संघर्ष की पृष्ठभूमि में चार वर्ष पहले किसानों से किए गए वादे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार इस मुद्दे को कब तक निपटाने का इरादा रखती है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): सरकार, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मतों पर विचार करने के उपरांत, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर पूरे देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

वर्ष 2004 में प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। इस सिफारिश को लागू करने के लिए सरकार नेवर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की थी। तदनुसार, सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी, उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक के मार्जिन के साथ तय की गईं।

सीएसीपी, एमएसपीकी सिफारिश करते समयभूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और उत्पादन की लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत का मार्जिन सुनिश्चित करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण कारकों जैसे उत्पादन की लागत, कुल मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, फसलों के बीच कीमत में बराबरी, कृषि और गैर-कृषि वाले क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों और बाकी अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव पर विचार करता है।

*****